कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर म0प्र0

क्रमांकः क्यू/स्टेनो/एडीएम/धारा–144/277/2021 ग्वालियर, दिनांकः 29/04/2021

।। संशोधन आ दे श ।।

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांकः एफ 35–09/2020/दो/सी–2 दिनांक 12.04.2021, 20.04.2021 से कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में जारी दिशा निर्देशों एवं माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश की वीडियो कांफ्रेस दिनांक 29.04.2021 में प्राप्त निर्देशों एवं जिला स्तरीय क्राइसेस कमेटी की बैठक दिनांक 29.04.2021 में लिये गये निर्णयों के आधार पर ग्वालियर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या एवं उस पर नियंत्रण करने तथा आमजन के स्वास्थ्य एवं जान–माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 250 दिनांक 21.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए लोक हित **में आतिशबाजी के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है।**

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में वर्णित अनुसार दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

यह आदेश ग्वालियर जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः निर्वहन कराया जाना संभव नहीं है, अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। अपर संचालक जन संपर्क जिले में प्रकाशित सभी समाचार–पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निःशुल्क प्रकाशन और प्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित)

29/4/21

(रिंकेश कुमार वैश्य)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर, म.प्र.

Addl. District Magistrate Gwalior (M.P.)

पृ.क्रमांकः क्यू/स्टेनो/एडीएम/धारा–144/277/2021 ग्वालियर, दिनांकः–29/04/2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
2– रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर
3– आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर
4– पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज ग्वालियर
5– पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु साथ ही इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ थानों को तदाशय के संबंध में अपने स्तर से भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
6– आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर
8– समस्त अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर
9– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी ग्वालियर
10– समस्त एसडीएम/तहसीलदार ग्वालियर
11– समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/एसडीओपी/थाना प्रभारी जिला ग्वालियर
12– समस्त इंसीडेंट कमांडर
13– मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर
14– सिविल सर्जन ग्वालियर
15– जिला आबकारी अधिकारी ग्वालियर
16– मण्डी सचिव, ग्वालियर
16– पुलिस कन्ट्रोल रूम ग्वालियर
17– अपर संचालक जन सम्पर्क ग्वालियर की ओर प्रेषित कर लेख है कि जन सामान्य की जानकारी हेतु उक्तादेश इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार–पत्रों में प्रमुखता से निःशुल्क प्रकाशित करावें ।

29/4/21

अपर जिला मजिस्ट्रेट

Addl. District Magistrate

Scanned with CamScanner